मोतीराम V/s सरकार 172/07

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल	नाम अहलकार हुक्म जारी
7/7/20	वकील वादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया कि हालात प्रकरण में बहस मे अनेक आधार दिए जा चुके हैं पत्रावली वास्ते बहस नियत 7/9/20 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
7/9/20.	वकील वादी उप० बहस हेतु मिसल पेश 29/9/20 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
29/9/20	वकील वादी व राजकीय अभिभाषक उप० बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश नियत 22/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
22/10/20	वकील वादी/राजकीय अभिभाषक उप० वकील वादी का वाद, वकील साबित करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मिसल दर्ज नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

ीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मा नं. 172/2007

वादी –

1. मोजीराम पुत्र नारायणराम
   जाति–जाट निवासी– डीडियांकलां तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

प्रतिवादी –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, शिवकुमार पाराशर वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार स्वयं उपस्थित।

– : : निर्णय : : –

दिनांक : 22/10/2020

वाद का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी दादा स्व. बालाराम पुत्र लिछमणराम थे। वादी के दादा के समय से ही मौजा नराधना के खेत खसरा नं. 167 रकबा 40.19 बीघा था जो बाद में खसरा नं. 167 रकबा 20.19 बीघा जो ग्राम पंचायत डिडियाकलां पंचायत समिति जायल ने नामान्तकरण संख्या 109/01.06.1961 द्वारा वादी के दादा स्व. बालाराम के नाम दर्ज हो गया। सम्वत् 2010 से 2016 तक साबिक खसरा नं. 167 का रकबा 40.19 बीघा था तथा सम्वत् 2017 से 2020 में वक्त सैटलमेंट अधिकारियों की गलती से वादी के हाल खसरा नं. 544 के रकबा को छोटा कर खसरा नं. 544 रकबा 16.06 बीघा दर्ज कर दिया। परन्तु मौके पर आज भी खसरा नं. 544 पुराना खसरा नं. 167 का रकबा 20.19 बीधा है। अतः खसरा नं. 544 रकबा 16.06 बीघा के बजाय खसरा नं. 544 का रकबा 20.19 बीघा दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन तामील सुदा प्राप्त हुआ तथा प्रतिवादी ने वादपत्र के संबंध में अपना जवाब दिनांक 27.11.2012 को प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि वकील वादी को दिलाई गई।

22/10/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजपैरोकार ने अपने जवाब में तथ्य प्रकृट किये किये कि वादी का कथन सही है कि मौजा राधनरा का साबिक खसरा नं. 167 रकबा 40.19 बीघा था। वाद के फिकरे में वादी ने जिस नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 01.06.1991 का उल्लेख किया वह तत्समय प्रवृत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत भरा गया है जिसे स्वीकार करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त थी। परन्तु उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर हे। उक्त नामान्तकरण जो सक्षम अधिकारी द्वारा तरदीकशुदा नहीं है, शुरू से शून्य व अमान्य है। अतः ऐसे नामान्तरकरण को आधार नही माना जा सकता। अतः अमान्य व शून्य नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी अमान्य है। राजपैरोकार ने अपने जवाब में आगे बताया कि वादी का कथन कि सैटलमेंट अधिकारियों ने साविक खसरा नं. 167 रकबा 40.19 बीघा के नये खसरे बनाते समय नवीन खसरा नं. 544 का नाम छोटा कर दिया। वादी के कथनानुसार साबिक खसरा नं. 167 के नये खसरे 544, 546, 547 हुये जबकि साबिक खसरा नं. 167 के कुल 6 खसरे (543, 544, 545, 546, 547, 549) बने थे जिनका क्रमश: रकबा 0.12 बीघा, 16.06 बीघा, 0.12 बीघा, 4.01 बीघा, 18.02 बीघा, 1.06 बीघा मिलान क्षेत्र मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुआ है। इस प्रकार साबिक खसरा नं. 167 का सम्पूर्ण रकबा नये खसरा नम्बरो में सामिल हो चुका है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सैटलमेंट अधिकारियों की गलती से खसरा नं. 544 का रकबा गलत दर्ज कर दिया गया। वादी का यह कथन कतई मान्य नहीं है। यदि वादग्रस्त खसरा नं. का रकबा बढाया जाता है तो निश्चित है कि इस ग्राम के किसी अन्य खसरा नम्बर का रिकॉडेड रकबा कम किया जावे। क्योंकि किसी ग्राम का भौगोलिक रकबा कम या अधिक नहीं किया जा सकता। यदि यह मान भी लिया जावे कि वादग्रस्त खसरा का मौके पर करबा 20.19 बीघा है तो हो सकता है किसी पडौसी खातेदार की भूमि बढ गया हो, और ऐसी स्थिति में बिना पड़ौसी खातेदार को सुने उसका रकबा कम किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः इस साबिक खसरा नम्बर 167 के कुल रकबे 40.19 बीघा का पूर्ण नवीन खसरा नं. 543 से 547 व 549 में समाहित सही रूप से हो गया है, तो वादग्रस्त खेताय का रकबा बढा देना कतई न्यायसंगत नहीं है। वादग्रस्त खेताय का मौके पर रकबा अधिक होने से वादी के मन में लोभ आ गया लगता है और इसी कारण निराधार रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया गया है जो चलने लायक नही है। अतः वादी का वाद निरस्त किया जावे।

साक्ष्यवादी में गवाह मौजीराम पीडब्ल्यू–1, जगाराम पीडब्ल्यू–2, के बयान कलमबद्ध किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी ग्राम नराधना सम्वत् 2060–2063 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम नराधना सम्वत्–2006 प्रदर्श–2 नजरी नवशा पेमाईस सम्वत् 2002 प्रदर्श–3, नामान्तकरण संख्या 109 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010–2013 प्रदर्श–6 कराये जो शामिल मिसल है। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मिसल नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में राजपैरोकार द्वारा खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1/1 पेश की तथा और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन किया। राजपैरोकार के निवेदन पर साक्ष्य

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जा[illegible]

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी बंद की गई तथा प्रकरण हाजा में बहस सुने जाने के लिए निवेदन किया। जिस पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र को साक्ष्य सबूतादि के आधार पर तथा गवाह मौजीराम पीडब्ल्यू–1, जगाराम पीडब्ल्यू–2, के बयान कलमबद्ध किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी ग्राम नराधना सम्वत् 2060–2063 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम नराधना सम्वत्–2006 प्रदर्श–2 नजरी नक्शा पेमाईस सम्वत् 2002 प्रदर्श–3, नामान्तकरण संख्या 109 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010–2013 प्रदर्श–6 की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुये दलीलें पेश कर वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तथा राजपैरोकार ने उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 109 क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अमान्य होने के कारण तथा साबिक खसरा नं. 167 रकबा 40.19 बीघा के मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दोंबस्त के अनुसार नवीन खसरे 543, 544 , 545, 546, 547 व 549 बनाये जाने से सम्पूर्ण रकबा क्रमशः 0.12 बीघा, 16.06 बीघा, 0.12 बीघा, 4.01 बीघा, 18.02 बीघा, 1.06 बीघा का कुल रकबा 40.19 बीघा ही बनता है जो मिलाननुरूप मूल खसरे के बराबर है। ऐसी स्थिति में केवल कब्जे के आधार पर रकबे में परिवर्तन की इस्तदुआ उचित प्रतीत नहीं होती है वरन् यह संभावित अधिक है कि वादी द्वारा पड़ौसी खेताय के रकबे पर कब्जा किया गया है जिसका निराकरण रकबा बराबरी से संभव है। अतः हम वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने पक्ष में सम्पुष्ट करने में असफल रहने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

वादी का वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम नराधना तहसील–जायल के खसरा नं. 544 रकबा रकबा 16.06 बीघा के स्थान पर रकबा 20.19 बीघा दर्ज किये जाने के संबंध में अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने पर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

27/10/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 172/2007

[दी] – मोजीराम पुत्र नारायणराम
जाति–जाट निवासी– डीडियांकलां तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

[प्रति]वादी – राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, शिवकुमार पाराशर वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार स्वयं उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री वस्तीराम ढाका, शिवकुमार पाराशर व प्रतिवादीगण – राजपैरोकार की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व प्राथमिक डिगरी दी जाती हैं कि :–वादी का वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम नराधना तहसील–जायल के खसरा नं. 544 रकबा रकबा 16.06 बीघा के स्थान पर रकबा 20.19 बीघा दर्ज किये जाने के संबंध में अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने पर खारिज किया जाता है।

आज की तारीख लीज –मुबलिक–बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर–फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक–को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/10/2020 को जारी किया गया।

22/10/2020
(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

मोजीराम बनाम सरकार वगैरह
राजस्व वाद संख्या 172/2007

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमी नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

22/10/2020
(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner